1731/19

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6802 11 MAR 2019 6802
उप-कोषागार, फिरोजाबाद

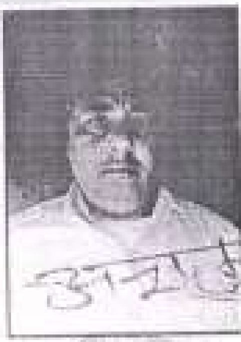

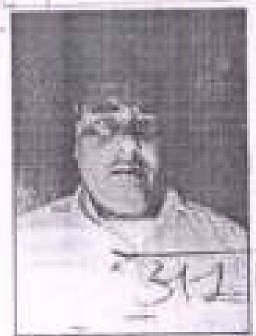

लीज डीड/	स्टाम्प	मौजा	बहक
30 वर्ष 180000/	3600/	नगला धीर	द्वितीय पक्ष

हम कि सुमनप्रकाश महाविद्यालय नगला किशनसिंह पुल खदीत जसराना फिरोजाबाद द्वारा प्रबन्धक/सचिव अनूप कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री संपतलाल जैन निवासी पुरानी बस्ती जैन मंदिर मु0 सराय हाउस नं0 2 एटा तहसील व जिला एटा प्रथम पक्ष मालिक जायदाद लीज पर देने वाले मोबा0नं0 8077652919 आई डी नं0 598435737764 व स्व0 सुमनप्रकाश एजूकेशन एण्ड वैलफेयर सोसायटी मधीपुर पोस्ट पैढ़त जिला फिरोजाबाद द्वारा प्रबन्धक अनूप कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री सम्पतलाल जैन निवासी पुरानी बस्ती जैन मंदिर मु0 सराय हाउस नं0 2 एटा तहसील व जिला एटा मो0नं0 8077652919 आई डी नं0 598435737764 द्वितीय पक्ष लीज पर लेने वाले

सचिव
सं० श्री सुमन प्रकाश एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसाइटी
ग्राम-मधीपुर पो० पैढ़त जिला फिरोजाबाद (उ०प्र०)

64

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11 MAR 2019

उप-कोषागार, शिकोहाबाद

2

विदित है कि एक किता जगह 87000 सत्तासी हजार [redacted] वर्गफीट मौकूआ खेत नम्बर 259 रकवा 0.809 है जो आबादी घोषित है स्थिति मौजा नगला धीर परगना मुस्तफाबाद तहसील जसराना जनपद फिरोजाबाद जिसका प्रथम पक्षएक मात्र व तन्हा मालिक व काबिज दखील। जिसमे मुझ प्रथम पक्ष का कोई साझीदार भागीदार व नही है। चूँकि उपरोक्त लिखी भूमि एवं भवन और खाली जगह मुझ प्रथम के किसी प्रयोग मे नहीआ रही है और द्वितीय पक्ष उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह को लीज पर लेने को तैयार है इस कारण हम दोनो पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत पाबन्द होते हुएयह लीज डीड तहरीर करते है और लिखे देते है कि लीज डीड की प्रत्येक शर्त की पाबन्दी हम दोनोपक्ष तथा हमारे वारिसान परअनिवार्य लागू होगी। शरायत इस प्रकार है कि 1–यह कि मुझ प्रथम पक्ष ने अपनी उपरोक्त लिखे जगह व भवन व खाली जगह स्थिति नगला धीर तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद को द्वितीयपक्ष को दिनॉक11 ग्यारह मार्च 2019 से दिनॉक11ग्यारह मार्च 2049तक के लिये यानी 3

(65)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEE

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6802 11 MAR 2019 6802

उप-कोषागार, शिकोहाबाद

तीस वर्ष ठीक के लिए लीज पर देने का अनुबंध किया है और बावत् लीज शुदा कब्जा व दख जगह पर द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से प्राप्त कर लिया है। 2–यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त लि जगह व भवन व खाली जगह पर लीज दिनांक से 30 वर्ष तक पूर्णतया अधिकारी रहेगा। 3– य कि द्वितीय पक्ष तान्या स्व0 सुमन प्रकाश एजूकेशन एण्ड वैलफेयर सोसायटी ग्राम मधीपुर पो पेंढत तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद द्वारा प्रबन्धक – अनूप कुमार जैन पुत्र स्व0 संपतला जैन निवासी पुरानी बस्ती जैन मंदिर मु0 सराय हाउस नं0 2 एटा तहसील व जिला एटा चला समस्त कार्यवाही पूरी कर शैक्षणिक संस्थान से संबन्धित लीज शुदा जगह को शैक्षणिक संस्थान कार्यों में ही प्रयोग कर सकेगा। 4–यह कि द्वितीय पक्ष लीजशुदा जगह पर अपनी सुविधा अनुसा स्थाई व अस्थाई निर्माण कर सकेगा जिसमें प्रथम पक्ष की रजामंदी की आवश्यकता नहीं होगी। 5- यह कि लीज करार/लीज अवधि 30 वर्ष से पूर्व नहीं समाप्त होगी। 6– यह कि लीज की अवधि

(66)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6802 21 FEB 2015 6802
उप-कोषागार, शिकोहाबाद

सीमा समाप्त होने के उपरान्त द्वितीय पक्ष उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह को खाल कर प्रथम पक्ष को कब्जा व दखल सौंप देगा और ना ही किसी अन्य प्रकार की कोई दावेदारी करेगा और यदि करेगा तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत लीज शुदा भूमि खाली करा लेवे जिसके समस्त हर्ज खर्च को देने का मुस्तहिक द्वितीय पक्ष होगा। 7– यह कि द्वितीय पक्ष यदि व्यवसाय करने हेतु किसी संस्था या साहूकार या बैंक आदि से कर्जा लेता है तो **उसकी सारी जिम्मेवारी** कर्ज लेने वाले की होगी एवं साहूकार का लीजशुदा जायदाद से कोई **सरोकार नही होगा।** यदि साहूकार या बैंक लीजशुदा जायदाद पर कब्जा करते है तो उसे अवैध समझा जावेगा। यह भी विदित रहे कि प्रबन्धक अनूप कुमार जैन को प्रबन्ध समिति के समस्त सदस्य की बैठक द्वारा लीज एवं सभी कार्य करने के लिये चुना गया है। अतः हम दोनों पक्षो ने खूब सोच समझकर स्थिर बुद्धि की पूर्ण सचेत दशा में यह लीज डीड अवधि तीस वर्ष लिख दिया

67

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6802 21 FEB 2019 उप-कोषागार, सिरसागंज

EM 74

5

कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति दिनांक 11 ग्यारह मार्च सन् 2019 ई० लेखक केशव सिंह दस्तावेज लेखक उपनिबन्धक कार्यालय परिसर जसराना तहसील जसराना जनपद फिरोजाबाद

नोट- [illegible] [redacted] [illegible]

[illegible]

साक्षी 1:– संजय यादव पुत्र श्री राजेन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम उतरारा तहसील जसराना जनपद फिरोजाबाद मो0न0 9719953116 आ0का0न0 932199109676

साक्षी 2:– कुलदीप पुत्र श्री अमृतसिंह निवासी ग्राम मधीपुर तहसील जसराना जनपद फिरोजाबाद मो0न0 8923997578 वो0का0न0 डब्लूएफएच 0112888

(68)

प्रपत्र

[illegible]